न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/43/2022	2022/520	29.11.2022	06.02.2023

उनवान

1. संजीव कुमार उर्फ सुनिल कुमार पुत्र स्व0 कीमतीलाल निवासी ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर जिला अलवर राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0
2. सहायक भू—प्रबंध अधिकारी, अलवर जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश सहाय भू—प्रबंध अधिकारी अवलर का निर्णय दिनांक 05.10.1991 नामान्तकरण संख्या 23 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश चंद सतीजा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील सहायक भू—प्रबंध अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 05.10.1991 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 23 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील व जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी ख0नं0 249 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व 250 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम दिवाकरी को दीगर खरीददारों के साथ मिलकर क्रय किया था, जिसका बयनामा दिनांक 09.09.1991 को पंजीबद्ध हुआ था, जिस बयनामा के आधार पर कुल 28 खरीददारों के नाम इंतकाल सं0 23 दर्ज किया गया। जिसे दिनांक 05.10.1991 को स्वीकृत किया गया। उक्त बयनामा में अपीलांट का नाम संजीव कुमार दर्ज है किन्तु इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट का नाम सहवन से संजीव कुमार के स्थान पर राजीव कुमार दर्ज कर दिया गया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अपीलांट उस वक्त नाबालिग था तथा अपीलांट की नाबालिगी में उसकी माता श्रीमति स्वर्णारानी द्वारा जरिये सरपरस्त बयनामा कराया गया थां बयनामा में क्रम संख्या 28 पर अपीलांट का नाम संजीव कुमार पुत्र कीमतीलाल आयु 11 साला जाति खत्री नाबालिग सरपरस्त माता निवासी ग्राम दिवाकरी दर्ज किया हुआ है। अपीलांट को इंतकाल व उसके आधार पर राजस्व अभिलेख में हुए इन्द्राज की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को दिनांक 24.11.2022 को इसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से हुई जब अपीलांट को जमाबंदी की नकल की आवश्यकता हुई। इसके बाद अपीलांट ने उसी राजे इंतकाल की नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 25.11.2022 को नकल प्राप्त की। जिस वकील साहब से सलाह की तो वकील साहब ने अपील पेश करने की सलाद प्रदान करते हुए अपील तैयार आज जानकारी की दिनांक 24.11.2022 से अपील हाजा बिना देरी के अन्दर अवधि पेश है। पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अपीलांट का सही नाम संजीव

जिला कलक्टर, अलवर

कुमार उर्फ सुनील कुमार है तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व ड्राईविंग लाईसेन्स में भी अपीलांट का नाम सुनिल कुमार दर्ज है। पूर्व में न्यायालय जिला न्यायाधीश अलवर में एक वाद जायदाद बंटवारा का दावा मु0नं0 34/06/15 उनवान मनोज कुमार बनाम सुनिल कुमार वगै0 में भी पक्षकारों के मध्य 06.02.2015 को राजीनामा से डिक्री पारित की गयी। उक्त मुकदमें में अपीलांट का नाम सुनिल कुमार उर्फ संजीव कुमार दर्ज है। अपीलांट के पिता के राजीव कुमार नाम का कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.1991 इंतकाल सं0 23 वाके ग्राम दिवाकरी तहसील अलवर को निरस्त किया जाकर अपीलांट का नाम राजीव कुमार के स्थान पर मुताबिक बयनामा संजीव कुमार उर्फ सुनील कुमार दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.1991 के विरूद्ध दिनांक 29.11.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 30 वर्ष बाद पेश की गयी है। उक्त अवधि को अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायिक दिष्टांतों के मध्येनजर नरमी का रूख अपनाते हुए कंडोन किया जाता है। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र की फोटोप्रतियां पेश की गयी है। उक्त दस्तावेजात् में अपीलांट का नाम सुनील कुमार अंकित है। जबकि बयनामा दिनांक 09.09.2021 में अपीलांट का नाम संजीव कुमार अंकित है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय तहसीनदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर एवं समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

न्यायालय जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर, अलवर